राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2021/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर0 टी0 आई0 रिसर्च सेन्टर कुशलबाग पैलेस, Banswara ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग, शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 30/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 13-8-17 सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सम्बोधित कर माह मार्च, 2012 में कुल कितनी प्रथम अपीलें धारा 19 के अन्तर्गत प्राप्त हुई, कितनी अपीलों का निपटारा किया गया, कितनी बकाया रही के सम्बन्ध में रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया था। निवेदित सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अपीलोत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जावे।

6. आयोग द्वारा प्रत्यर्थी को पंजीकृत नोटिस दिनांक 12-3-18 मय संलग्नक प्रेषित किया गया, के उपरान्त भी प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के आवेदन के अनुक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत विनिश्चय/ सूचना का प्रेषण नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में सूचना के आवेदन के अनुक्रम में अभिलेखानुसार बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निःशुल्क पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

7. अस्तु, हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त